सेवा में, दिनांक 22.05.2023

श्रीमान् ''प्रथम अपीलीय अधिकारी'' महोदय,
श्री कृष्ण कुमार टी.आर. (कार्यपालक निदेशक),
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
क्षेत्रिय मुख्यालय, पश्चिम् क्षेत्र–2
प्लांट नं0–54, रिया–रेवती रिसोर्ट के पास,
सावली रोड, बड़ोदरा–390024 (गुजरात)

विषयः– संन्दर्भ– प.क्षे.–II / लोक सूचना / 2023 / 110 / 319, दिनांक 02.05.2023 के विरूद्ध आरटीआई एक्ट–05 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि मुझ अपीलार्थी का निम्नांकित कथन एवं आधार है। जो इस प्रकार हैः–

01. यह कि मुझ अपीलार्थी के द्वारा आरटीआई एक्ट–05 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 कण्डिकावार क्र0 1 से 5 का उल्लेख किया जाकर कंडिकावार क्र0 1 से 3 की जानकारी की मांग श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी श्री पंकज दयाल जी, पश्चिम् क्षेत्र–II, बड़ोदरा (गुजरात) के पते पर पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थी।

02. यह कि मुझ अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 के क्रम में संन्दर्भ प.क्षे. / लोक सूचना / 2023 / 110 / 319, दिंनांक 02.05.2023 के द्वारा संन्दर्भ भेजा गया है। जो मुझ अपीलार्थी को दिनांक 16.05.2023 को प्राप्त हुआ है।

03. यह कि लोक सूचना अधिकारी, पावर ग्रिड, पश्चिम् क्षेत्र–II, बड़ोदरा (गुजरात) के द्वारा भेजे गये संन्दर्भ : प.क्षे. / लोक सूचना / 2023 / 110 / 319, दिनांक 02.05.2023 में मांगी गई जानकारी कंडिका क्र0 1 का दिया गया उत्तर, पूर्णतया असत्य व भ्रामक होने से स्वीकार नहीं है, ऐसी स्थिति में मांगी गई जानकारी आरटीआई एक्ट–05 के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रान्सपेरेन्सी के रूप में सीपीआईओ पावर ग्रिड बड़ोदरा (गुजरात) द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है। मांगी गई आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 के पैरा क्र0 01 की जानकारी स्पष्ट व सत्य दिलवाये जाने अपील आदेश पारित किये जाने व सन्दर्भ : प.क्षे. / लोक सूचना / 2023 / 110 / 319, दिनांक 02.05.2023 निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

क्रमशः........02 पर

04. यह कि संन्दर्भ : प.क्षे./लोक सूचना/2023/110/319, दिनांक 02.05.2023 के द्वारा कंडिका क्र0–02 का संन्दर्भ स्वीकार है।

05. यह कि संन्दर्भ के पैरा क्र0 3 का उत्तर अधूरा दिया गया है। ऐसी स्थिति में मांगी गई जानकारी निष्पक्ष/स्पष्ट एवं पूर्ण दिये जाने अपील निर्णय दिया जाना न्यायोचित होगा, व संन्दर्भ : प.क्षे./लोक सूचना/2023/110/319, दिनांक 02.05.2023 के क्र0सं0–03 निरस्तगी योग्य है जिसे निरस्त किया जाय।

06. यह कि अपील आवेदन शुल्क के रूप में 50/–रू0 का भारतीय पोस्टल आर्डर क्र0 65G-956537, दिनांक 22.05.2023 मूल संलग्न है। जो पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड बड़ोदरा (गुजरात) के नामे भेजा जा रहा है। जिसे स्वीकार कर अपील निर्णय दिया जाना न्यायोचित होगा।

अतः अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है, कि मुझ अपीलार्थी के अपील आवेदन पर विचार कर आरटीआई एक्ट–05 की धारा 19(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील आवेदन स्वीकार कर अपील निर्णय दिये जाने व संन्दर्भ प.क्षे./लोक सूचना/2023/110/319, दिनांक 02.05.2023 को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

संलग्नः–

01. संन्दर्भ : प.क्षे./लोक सूचना/2023/110/319, दिनांक 02.05.2023
02. प्रथम आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023
03. आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2023 की छायाप्रति।
04. भारतीय पोस्टल आर्डर क्र0 65G-956537, दिनांक 22.05.2023 मूल।

पत्राचार का पताः–

कबिस प्रसाद शाह तनय छोटेलाल शाह
व अन्य, ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व), पोस्ट–शाहपुर,
तहसील एवं जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
पिन कोड नं0–486886

प्रार्थीगण

कबिस प्रसाद शाह तनय छोटेलाल
शाह व अन्य, ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
तहसील एवं जिला–सिंगरौली (म0प्र0)